न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 133/2020 (2020/00174)

अनवान : —

1. राजेन्द्र पुत्र कोरसिंह जाति जाट निवासी चिड़ियागांधी सरदारपुराबास तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. कोरसिंह पुत्र महीपतराम जाति जाट निवासी चिड़ियागांधी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
2. होशियारसिंह पुत्र कोरसिंह जाति जाट निवासी चिड़ियागांधी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
3. सरोज पत्नी सुनिल पुत्र कोरसिंह जाति जाट निवासी चिड़ियागांधी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
4. ऋचा पुत्री सुनिल पुत्र कोरसिंह जरिये माता सरोज पत्नी सुनिल जाति जाट निवासी चिड़ियागांधी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
5. सुनयना पुत्री सुनिल पुत्र कोरसिंह जरिये माता सरोज पत्नी सुनिल जाति जाट निवासी चिड़ियागांधी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
6. नवीनकुमार पुत्र सुनिल कुमार पुत्र कोरसिंह जरिये माता सरोज पत्नी सुनिल जाति जाट निवासी चिड़ियागांधी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर भादरा।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री लीलाधर अग्रवाल वादी
श्री कृष्ण भारी प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 09/10/2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:28 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है [illegible] मौजा चक 7 एसडीआर के खाता संख्या 99/95 के मु0न0 91 किला नं0 22 [illegible] की 1.012 है0 में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 100/96 के मु0 न0 10 के किला [illegible] 13 ता 18, 24 की कुल 1.695 है0 नहरी में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 101/97 के मु0 नं0 90 किला नं0 17 ता 24, मु0 नं0 91 किला नं0 1, 2, 6 ता

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

19 कुल 6.072 है0 नहरी में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम से 0.506 है0, चक 10 एसडीआर के खाता संख्या 42/44 के मु0 नं0 72 किला नं0 1 ता 9, 12 ता 19 की 4.301 है0 नहरी में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम से 1/12 हिस्सा, खाता संख्या 46/52 के मुरब्बा नम्बर 69 के किला न0 25, मुरब्बा न0 70 के किला न0 21 ता 24 कुल 1.265 हैक्टेयर में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम 1/4 हिस्सा तथा चक 9 एसडीआर के खाता सं0 38/38 के मु0 नं0 47 किला नं0 5 ता 7, 13 ता 18 मु0 नं0 48 किला नं0 1 ता 4, 7 ता 13, 20 की कुल 5.313 है0 नहरी में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम से 0.128 है0, खाता सं0 61/54 के मु0 नं0 29 किला नं0 17 ता 25, मु0 नं0 46 किला नं0 1 ता 13, 18 ता 20, मु0 नं0 81 किला नं0 15 ता 25, मु0 नं0 82 किला नं0 1 ता 8 कुल 10.866 है0 में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम 0.905 है0 तथा तथा चक 9 एसडीआर के खाता सं0 96/83 के मु0 नं0 46 किला नं0 14 व 15 की 0.506 है0 में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम से 1/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा महीपतराम की खातेदारी हुआ करती थी। महीपतराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी कोरसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी कोरसिंह ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी कोरसिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 कोरसिंह को वादी के दादा महीपतराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो चक 10 एसडीआर सम्वत 2054 के खाता संख्या 37/34, चक 9 एसडीआर जमाबन्दी सम्वत 2054 खाता संख्या 37/33 एवं चक 7 एसडीआर जमाबन्दी सम्वत 2057–60 खाता संख्या 77, 78, 79, चक 9 एसडीआर सम्वत 2054 खाता संख्या 78/71 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है।

वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक समझौता हो गया जिसमें रोही मौजा चक 7 एसडीआर के खाता संख्या 99/95 के मु0नं0 [illegible] नं0 22 ता 25 की 1.012 है0 में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम से 1/[illegible]/96 के मु0 न0 10 के किला न0 13 ता 18, 24 की कुल 1.695 है0 नहरी में प्रति[illegible] कोरसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 101/97 के मु0 नं0 90 किला नं0 17 [illegible] 24, मु0 नं0 91 किला नं0 1, 2, 6 ता 19 कुल 6.072 है0 नहरी में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम से 0.506 है0, चक 10 एसडीआर के खाता संख्या 42/44 के मु0 नं0 72 किला नं0 1 ता 9, 12 ता 19 की 4.301 है0 नहरी में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम से 1/12 हिस्सा, खाता संख्या 46/52 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

मुरब्बा नम्बर 69 के किला न0 25, मुरब्बा न0 70 के किला न0 21 ता 24 कुल 1.265 हेक्टेयर में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम 1/4 हिस्सा तथा चक 9 एसडीआर के खाता सं0 38/38 के मु0 नं0 47 किला नं0 5 ता 7, 13 ता 18 मु0 नं0 48 किला नं0 1 ता 4, 7 ता 13, 20 की कुल 5.313 है0 नहरी में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम से 0.128 है0, खाता सं0 61/54 के मु0 नं0 29 किला नं0 17 ता 25, मु0 नं0 46 किला नं0 1 ता 13, 18 ता 20, मु0 नं0 81 किला नं0 15 ता 25, मु0 नं0 82 किला नं0 1 ता 8 कुल 10.866 है0 में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम 0.905 है0 तथा तथा चक 9 एसडीआर के खाता सं0 96/83 के मु0 नं0 46 किला नं0 14 व 15 की 0.506 है0 में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम से 1/12 हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी कोरसिंह के नाम दर्ज है, वह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार मिल गई है तथा प्रतिवादी कोरसिंह के नाम चक 9 एसडीआर के खाता संख्या 38/38 व चक 10 एसडीआर के खाता संख्या 46/52 में स्थित भूमि जो प्रतिवादी कोरसिंह के नाम से दर्ज है वह भूमि प्रतिवादी के हिस्सा में आ गई है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी राजेन्द्र पुत्र महीपतराम जाति जाट निवासी चिड़ियागांधी सरदारपुराबास के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 9 एसडीआर सम्वत 2074–2077 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 7 एसडीआर सम्वत 2073–2076 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 7 एसडीआर सम्वत 2073–2076 प्रदर्श 3 ता 4, जमाबन्दी चक 10 एसडीआर सम्वत 2074–77 प्रदर्श 5, चक 10 एसडीआर सम्वत 2074–77 प्रदर्श 6, जमाबन्दी चक 9 एसडीआर सम्वत 2074–77 प्रदर्श 7, जमाबन्दी 9 एसडीआर सम्वत 2074–77 प्रदर्श 8, 9 एसडीआर सम्वत 2054 प्रदर्श 9, जमाबंदी खतौनी चक 10 एसडीआर सम्वत 2054 खाता संख्या 37/34 प्रदर्श 10, जमाबन्दी खतौनी चक 9 एसडीआर सम्वत 2054 प्रदर्श 11, जमाबन्दी खतौनी चक 7 एसडीआर सम्वत 2057–60 खाता संख्या 77 ता 79 प्रदर्श 12 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया तथा प्रतिवादीगण की तरफ से वादी के दावा का कोई खण्डन नही किया गया है तथा प्रतिवादीगण ने वादी के दावा को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:28 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर गौर किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। वादी ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य से कुल वाद भूमि पैत्रक होना साबित किया है तथा पारिवारिक समझौता को मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के दावा एवं उसमें वर्णित पारिवारिक समझौता का कोई खण्डन नही किया है तथा राजीनामा से स्वीकार किया है। इसलिए वाद वादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य होने के कारण डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 एसडीआर के खाता संख्या 99/95 के मु0न0 91 किला न0 22 ता 25 की 1.012 है0 में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 100/96 के मु0 न0 10 के किला न0 13 ता 18, 24 की कुल 1.695 है0 नहरी में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम से 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 101/97 के मु0 नं0 90 किला नं0 17 ता 24, मु0 नं0 91 किला नं0 1, 2, 6 ता 19 कुल 6.072 है0 नहरी में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम से 0.506 है0, चक 10 एसडीआर के खाता संख्या 42/44 के मु0 नं0 72 किला नं0 1 ता 9, 12 ता 19 की 4.301 है0 नहरी में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम से 1/12 हिस्सा तथा खाता सं0 61/54 के मु0 नं0 29 किला नं0 17 ता 25, मु0 नं0 46 किला नं0 1 ता 13, 18 ता 20, मु0 नं0 81 किला नं0 15 ता 25, मु0 नं0 82 किला नं0 1 ता 8 कुल 10.866 है0 में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम 0.905 है0 तथा चक 9 एसडीआर के खाता सं0 96/83 के मु0 नं0 46 किला नं0 14 व 15 की 0.506 है0 में प्रतिवादी कोरसिंह के नाम से 1/12 हिस्सा भूमि दर्ज है **उसमें प्रतिवादी कोरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी राजेन्द्र को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 होशियार को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 सरोज, प्रतिवादी संख्या 4 त्रृचा, प्रतिवादी संख्या 5 सुनयना, प्रतिवादी संख्या 6 नवीनकुमार को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

Note:- खाता संख्या 61/54 का सम्पूर्ण रकबा चक 10 SDR के स्थान पर चक 9 SDR पढ़ा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:28 IST
Reason: SelfAttested